



International Journal of Advanced Research in Education and Technology (IJARETY)

Volume 12, Issue 5, September-October 2025

Impact Factor: 8.152



महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अरुणा आसफ़ अली का योगदान

Dr. Rajeev Chouhan

Sanvidha Lecturer in Political Science, Govt. PG College Barmer (Rajasthan), India

सारांश (ABSTRACT): भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इनमें अरुणा आसफ़ अली का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे स्वतंत्रता आंदोलन की एक सशक्त, निर्भर और साहसी महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ और वे कम उम्र से ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई।

अरुणा आसफ़ अली विशेष रूप से 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान प्रसिद्ध हुईं, जब उन्होंने बंबई (अब मुंबई) के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उस समय अधिकांश वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन अरुणा जी ने असाधारण साहस का परिचय देते हुए भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय बने रहने का आह्वान किया। यह घटना उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक और "भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका" बना गई।

उनका योगदान केवल प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को गति प्रदान की, क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया और गुप्त प्रचार कार्य संचालित किए। वे स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से जुड़ी रहीं। स्वतंत्र भारत में उन्हें भारतीय संसद की पहली महिला उपाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके अदम्य साहस और त्याग की वजह से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की "आयरन लेडी" कहा गया।

अरुणा आसफ़ अली ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि महिलाएँ केवल घर की परिधि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। उनके साहसिक कार्यों ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की।

मुख्य शब्द: अरुणा आसफ़ अली, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन, तिरंगा फहराना, महिला स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, त्याग और साहस, क्रांतिकारी गतिविधियाँ।

I. प्रस्तावना

राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया, अपनी और आकांक्षाओं के साथ संख्यात्मक दृष्टि से तो उसे मजबूत बनाया ही, साथ ही वे आन्दोलन में अपने मुद्दे और मसविदे भी साथ लेकर आईं। क्रांतिकारी तरीके से नए भारत के निर्माण में योगदान देने वाली महिलाओं में शहीद भगत सिंह की सहयोगी दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी, खुशीदास, लाडी, रानी जुशी, अरुणा आसफ़ अली, उषा मेहता, प्रीतिलता बहंदार के साथ दुर्गाबाई देशमुख और स्वामीनाथ जैसी सुप्रसिद्ध महिलाओं का नाम उल्लेखनीय है।

ग्रेंड ओल्ड लेडी के नाम से प्रसिद्ध हुई अरुणा आसफ़ अली ने भारत की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपना पूरा जीवन भारत के लिए और मानवीय कार्यों के लिए समर्पित किया। अरुणा आसफ़ अली एक शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने भारतीय आंदोलनों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। वह स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थीं। मुख्य तौर पर अरुणा आसफ़ अली को भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद अरुणा ने राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और दिल्ली की पहली मेयर बनीं।

II. अरुणा आसफ़ अली का प्रारंभिक जीवन

अरुणा आसफ़ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका हरियाणा ब्रिटिश इंडिया में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता उपेंद्रनाथ गुगाली पूर्वी बंगाल के बरीसाल जिले से थे जो आज बांग्लादेश में स्थित है। उनके पिता एक रेस्टोरेंट के मालिक थे।

उनकी मां का नाम अंबालिका देवी था, जो प्रसिद्ध ब्रह्मो नेता त्रैलोक्यनाथ सान्याल की बेटी थी, जिन्होंने कई भजन भी लिखे थे। उनके चाचा धीरेन्द्रनाथ गांगुली फिल्म निर्देशकों में से एक थे। उनके अन्य चाचा एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अरुणा के दूसरे चाचा नागेंद्रनाथ जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिनका विवाह नोबल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की बेटी मीरा देवी से हुआ था।

अरुणा की प्रारंभिक शिक्षा सेक्रेज हार्ट कॉन्वेंट और नैनीताल के ऑल सेंट्स कॉलेज से हुई। बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के गोखले मेमोरियल स्कूल में एक शिक्षिका के तौर पर काम किया था। उसके बाद उनकी मुलाकात आसफ अली से हुई, जो इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अरुणा ने आसफ अली से शादी करने की इच्छा जताई। धर्म और उम्र में 20 साल का फर्क होने की वजह से उनके माता-पिता इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी माता-पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने आसफ अली से शादी की। उस दोनो ने 1928 में शादी की। लोगों ने कई बातों की लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आसफ अली वकालत करते थे। ये वही आसफ अली हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भगत सिंह का हमेशा सपोर्ट किया। असेंबली में बम फोड़ने के बाद गिरफ्तार हुए भगत सिंह का केस भी आसफ अली ने ही लड़ा था।

इसके बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनी। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित किया और जुलूस निकाला। ब्रिटिश सरकार ने उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया और एक साल की कैद दी। उन्हें 1931 में गांधी-इरविन समझौते के तहत रिहा नहीं किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई तय थी। लेकिन अन्य महिला सह-कैदियों ने तब तक परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें रिहा नहीं किया गया और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनको जेल से रिहा किया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी वे टूटी नहीं। बाहर आकर फिर से आंदोलन का हिस्सा बनीं। अरुणा को 1932 में फिर से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा गया। इस बार अरुणा ने जेल के अंदर मुजरिमों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार और अत्याचार के लिए अभियान चलाए, भूख हड़तालें कीं। अरुणा 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी जेल गईं।

जब गांधी ने नमक सत्याग्रह के बाद 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया तो अरुणा ने इसमें भाग लिया। अगस्त 1942 को जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो अंग्रेजों ने उसे सख्ती से कुचलने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इसका उस अधिवेशन में भाग ले रही तेजतर्रार नेता अरुणा आसफ अली पर कोई असर नहीं पड़ा।

अगले दिन 09 अगस्त 1942 को उन्होंने अंग्रेज सरकार के सारे अवरोधों को धता बताते हुए मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर, जिसे आजकल 'आज़ाद मैदान' कहा जाता है, कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया। अपनी पुस्तक 'रिसर्जेंस ऑफ इंडियन विमेन' में अरुणा आसफ अली ने लिखा, "9 अगस्त, 1942 को पुलिस ने उस प्लेट का दरवाजा खटखटाया जहाँ हम ठहरे हुए थे। जब उन्होंने आसफ साहब को गिरफ्तार कर लिया तो मैंने पूछा कि मेरे बारे में क्या? उन्होंने कहा, 'आपके लिए कोई वारंट नहीं है। मैंने ब्रिटिश सार्जेंट को अपने पति को स्टेशन पर विदा करने के लिए मना लिया।' वे लिखती हैं, "विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर धीरूभाई देसाई भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठा कर गोवालिया टैंक मैदान पहुँचा दिया। वहाँ धारा 144 लगी हुई थी और वहाँ होने वाली जनसभा को अवैध घोषित किया जा चुका था। मैंने वहाँ अपने देश का झंडा लहरा दिया जो मेरा परम कर्तव्य था स' उनके इस कदम ने इस आन्दोलन की शुरुआत हुई।

1942 के आन्दोलन के दौरान उनकी बहादुरी के लिए उन्हें नायिका का दर्जा दिया गया। इस आन्दोलनों के बाद स्वतंत्रता आन्दोलन में उन्हें ग्रेड ओल्ड लेडी के नाम से संबोधित किया गया। उस दौरान प्रत्यक्ष नेतृत्व की कमी के बावजूद भी युवाओं ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उनके दृढ़ निश्चय ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए। इन घटनाओं को देखते हुए उनके नाम पर गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह अंडरग्राउंड हो गई थी।

III. भूमिगत आंदोलन के दौरान गतिविधियां

तीन साल तक भूमिगत रहते हुए उन्होंने आंदोलन जारी रखा। इस दौरान ब्रिटिश पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी गई। उसी दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस पार्टी की मासिक पत्रिका जिसका नाम "ईकबाल" था का संपादन किया। इस पत्रिका के एक अंक (एडिशन) जो 1944 में आया था, उसमें उन्होंने देश के युवाओं से हिंसा और अहिंसा की बातों को भूला कर क्रांति में शामिल होने को लेकर गुजारिश की।

अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को गांधी के राजनीतिक बच्चे, लेकिन कार्ल मार्क्स के हालिया छात्र के तौर पर देखा जाता था। इन स्थिति और आन्दोलनों से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम तक रखा गया था। उसके कुछ समय बाद ही अरुणा बीमार पड़ गई। जिसकी वजह से उन्हें कोरलबाद के अस्पताल में भर्ती किया

गया। उनके बीमार होने की खबर को सुनकर महात्मा गांधी ने अपने हाथों से लिखा हुआ खत भेजा। महात्मा गांधी जी एक द्वारा भेजे हुए इस खत को उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में संजो के रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें गांधी जी की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा इंडियन नेवी विद्रोह के समर्थन के लिए गांधी जी ने अरुणा की आलोचना की थी। अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने 1946 में खुद को आत्मसमर्पण करने के गांधी के अनुरोध की भी अवज्ञा की।

IV. स्वतंत्रता के बाद का जीवन और विरासत

अरुणा आसफ अली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थीं, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर समाजवादी विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं का एक गुट था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) में शामिल होने के लिए उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी, जब 1953 में आसफ अली की मृत्यु हो गई तो उन्हें एक व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा। अरुणा आसफ अली मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो गई थीं। अरुणा आसफ अली ने 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सीपीआई की महिला शाखा थी। हालाँकि, 1956 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता खुश्चेव के उदय के बाद उन्होंने सीपीआई छोड़ दी।

वर्ष 1958 में अरुणा आसफ अली दिल्ली की पहली मेयर बनीं। इसी के साथ वह दिल्ली में सामाजिक कल्याण और विकास के लिए कृष्णा मेनन, विमला कपूर, गुरु राधा किशन, प्रेमसागर गुप्ता, सरला शर्मा और सुभद्रा जोशी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मनिरपेक्षतावादियों के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी।

जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने दैनिक समाचार पत्र पैट्रियाट और साप्ताहिक समाचार पत्र लिंक का प्रकाशन किया। जवाहर लाल नेहरू, बीजू पटनायक आदि से संबंधित होने के कारण जल्द ही दोनों समाचार पत्रों को स्थापित पहचान मिल गई लेकिन अंदरूनी राजनीति से आहत होकर उन्होंने कुछ ही समय में प्रकाशन का काम छोड़ दिया। 1964 में दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी वह सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। अरुणा आसफ अली इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के करीबियों में से एक थीं।

उनका एक वाक्या बहुत प्रसिद्ध है। एक बार अरुणा दिल्ली में यात्रियों से ठसाठस भरी बस में सवार थी। कोई सीट खाली नहीं थी। उसी बस में एक मॉर्डन औरत थी। एक आदमी ने युवा महिला की नजरों में चढ़ने के लिए अपनी सीट उसे दे दी लेकिन उस महिला ने अपनी सीट अरुणा को दे दी, क्योंकि वो बुजुर्ग थी। इस पर वह व्यक्ति बुरा मान गया और युवा महिला से कहा यह सीट मैंने आपके लिए खाली की थी बहन। इसके जवाब में अरुणा आसफ अली बोलीं कि मां को कभी न भूलो क्योंकि मां का हक बहन से पहले होता है।

29 जुलाई, 1996 को अरुणा आसफ अली का निधन हो गया। वर्ष 1975 में अरुणा आसफ अली को शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज और 1991 में अंतरराष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण और 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में, अखिल भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रतिवर्ष डॉ अरुणा आसफ अली सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार अरुणा आसफ अली हमारे देश की एक राष्ट्रभक्त महिला थी जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की स्वतंत्रता संघर्ष में अर्पित किया और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए इस आहुति के कारण ही भारत अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सका।

V. निष्कर्ष

अरुणा आसफ अली का जीवन और योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र की आज़ादी केवल पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि महिलाओं का भी समान योगदान आवश्यक है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी द्वारा यह प्रमाणित किया कि निडरता, साहस और त्याग से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।

भारत छोड़ो आंदोलन में उनका तिरंगा फहराना केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि यह पूरे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता की नई आशा और ऊर्जा का संदेश था। उनके इस कार्य से जनता के मनोबल में वृद्धि हुई और स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला प्रचंड हो उठी। यह कदम उन्हें जनता की नायिका बना गया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वे लोकतंत्र और समाजवादी मूल्यों की रक्षा हेतु सक्रिय रहीं। उन्होंने संसद की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए यह दर्शाया कि वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक सशक्त राजनेता और समाज सुधारक भी थीं। उन्हें 'पद्मविभूषण' और 'भारत रत्न' जैसे सम्मान प्राप्त हुए, जो उनके अद्वितीय योगदान की स्वीकृति का प्रमाण हैं।

निष्कर्षतः, अरुणा आसफ़ अली का योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणादायी धरोहर है। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश छोड़ा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उनका संघर्ष, साहस और त्याग आज भी महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, प्रज्ञा, भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2006
2. सिंह, वीरकेश्वर प्रसाद, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, ज्ञानदा प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 1997
3. चंद्र, विपिन, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 1998, पृ.124
4. कौशिक, आशा, नारी सशक्तीकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
5. जैतली, ममता एवं शर्मा, प्रकाश, आधी आबादी का संघर्ष राजस्थान में महिला आन्दोलन का इतिहास : एक झलक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
6. पाण्डेय, श्यामकृष्ण, भारतीय छात्र आन्दोलन का इतिहास, भाग एक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद, 2008
7. जैन, कैलाश चन्द्र, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, कर्मपुरा, नई दिल्ली, 1996
8. जैन, मीरा, भारत की वीरांगना, दियाविहार पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997
9. कौशिक विजय, वूमैन्स मूवमेन्ट एण्ड ह्यूमन राइट्स, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1997
10. डा. शर्मा विष्णुदत्त, नारी और न्याय, शोध प्रकाशन अकादमी, गाजियाबाद, 1999
11. देवी शकुन्तला, वूमैन्स स्टेट्स एण्ड सोशल चेज, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1999
12. आर्य, सुधा, वूमैन जेंडर इक्लिटी एण्ड स्टेट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, दिल्ली, 2000
13. देसाई, नीरा एवं ठक्कर ऊषा, वूमैन्स इन इंडियन सोसाइटी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 2003
14. कुरुक्षेत्र नवंबर, 2020, पृ०-16
15. योजना, दिसम्बर, 2020, पृ०-34
16. परीक्षा मंथन, वाषिर्कांक, "भारत में महिला सशक्तिकरण समग्र विवेचना, भाग 5, 2020-21 पृ०-367
17. गोयल, एम.एल., पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन ए डेवलपिंग नेशन, इंडिया एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, 1974

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975

Impact Factor: 8.152